अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थी
नैमाराम पुत्र फूलाराम जाति मीणा निवासी बागसीन तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 90/2023

–:आदेशः–

दिनांक 20.10.2023

उक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज के पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी के कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजी मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन भूअभिलेख निरीक्षक पालडीएम तहसील शिवगंज में स्थित है। मौजा बागसीन के खाता संख्या 29 खसरा नम्बर 801/1 रकबा 0.0324 हेक्टेयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि संवत् 2075–2078 की खतौनी में राजस्व कर्मचारी/पटवारी द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में ऑनलाइन तरमीम त्रुटिवश गलत कर दिया गया अर्थात् मौजा बागसीन के खसरा नं0 801 रकबा 01–12 बीघा की जो आबादी रूपांतरित भूमि आई हुई स्थित है। उसका ऑनलाईन तरमीम पटवारी द्वारा प्रार्थी के उपरोक्त खसरा नं0 801/1 (गै.मु.खड्डा) में कर दिया है तथा मौका स्थिति अनुसार खसरा नं0 801 की आबादी रूपान्तरितसुदा भूमि सही है, किंतु ऑनलाइन तरमीम में राजस्व कर्मचारी द्वारा त्रुटिवश उक्त आबादी भूमि की तरमीम प्रार्थी के उक्त खसरा नं0 801/1 में कर दिया गया है। जिसको वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड के नक्शे में सही सीमांकन नहीं होने से राजस्व नक्शें में न्यायहित में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार मौजा बागसीन तहसील शिवगंज के खसरा नं0 801/1 रकबा 0.0324 हैक्टयर किस्म गै0 मु0 खड्डा नैमाराम पुत्र फूलाराम जाति मीणा सा0 देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा नं0 801/1 की तरमीम DILRMP के तहत नक्शें में संलग्न नक्शें अनुसार की गई है जबकि पूर्व में मूल खसरा नं. 801 क्षैत्रफल 01–16 बीघा में से जरिये तहसीलदार शिवगंज के संपरिवर्तन आदेश कमांक/राजस्व/रूपां./94/225–29 दिनांक 08.02.1994 के तहत 01–12 बीधा अर्थात 2590 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित की गई थी एवं शेष खसरा नं0 801 मी रकबा 0–04 बीघा भूमि राजस्व नक्शा भिन्न है, जिसे राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्धिकरण किया जाना उचित बताया गया है।

दिनांक 20.10.2023 को प्रार्थी अधिवक्ता एवं स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित राजस्व नक्शें में तरमीम शुद्ध किये जाने को उचित बताया है। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तावित नक्शे अनुसार **मौजा बागसीन पटवार हल्का बागसीन तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 801/1 रकबा 0.0324 हैक्टयर भूमि** की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार शुद्धि करने के आदेश दिये जाता हैं। **स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:38 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

क्रमांक 723
20/10/2023

(डॉ. नरेश सोनी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)